न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूँगरपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी सांवरलाल आबासरा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 93/16 — पंजीयन दिनांक 26.12.2014
GCMS 2016/000110 — निर्णय दिनांक 27.10.2025

1. श्री लक्ष्मण पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
2. श्री शंकर पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
3. श्री प्रभु पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
4. श्री राजु पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
5. श्री भगु पिता नगजी डामोर मीणा
6. श्री अरविन्द पिता स्व. नगजी डामोर
7. श्री राकेश पिता स्व. सुरजमल डामोर मीणा
8. श्री कल्पेश पिता सुरजमल डामोर मीणा
9. श्री प्रियंका पुत्री स्व. सुरजमल डामोर
10 श्री सन्तोष पुत्री स्व. सुरजमल डामोर मीणा
11. श्री रामा पिता मावजी डामोर मीणा

समस्त निवासीयान सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. श्री नानूराम पिता डूंगरजी पाटीदार निवासी सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री धुलजी पिता डूंगरपुर पाटीदार निवासी सालमपुरा तहसील व ज़िला डूंगरपुर
3. श्री शान्तिलाल पिता डूंगर निवासी सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर
4. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी जारी किये जाने
अन्तर्गत धारा 88, 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

1. श्री अमृतलाल पंचाल, अधिवक्ता, –वादीगण
2. श्री लालसिंह चुण्डावत, अधिवक्ता, –प्रतिवादी गण
3. पेरोकार–सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 27.10.2025

प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादीगण गॉव सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर के स्थाई निवासी होकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के है एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 तक भी इस गॉव के होकर सवर्ण जाति वर्ग के है। वादीगण के कब्जे काश्त एवं सुंयक्त खाते की पैतृक जमीन गॉव सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर मे स्थित है जिसकी खतौनी संख्या 143 हाल जमाबंदी संवत् 2069 के आराजी नम्बर 1176 खेत नामें भडीया रकबा 1 बिस्वा जमीन दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त जमीन पर वादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उपयोग–उपभोग में ले रहे है।

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के उक्त आराजी नम्बर 1176 के पीछे की तरफ अर्थात पश्चिम दिशा में प्रतिवादीगण की जमीन जिसका आराजी नम्बर 1177 स्थित है, वादीगण द्वारा अपने संयुक्त खाते की जमीन आराजी नम्बर 1176 में 2 वर्ष पूर्व में चाय के केबीन रखे थे, जिन्हे हटाकर मवेशियों के बॉधने हेतु गत एक वर्ष पूर्व खुला टिनशेड बनाया व पत्थरों का परकोटा भी दोनों आराजी नम्बर 1176 एवं 1177 के बीच बनाया है।

प्रतिवादीगण ने अपने खाते की आराजी नम्बर 1177 में पक्की दुकानों का निर्माण कराया है जो प्रतिवादीगण के खसरा नम्बर 1176 से सटकर बनाया है, लेकिन अब वादीगण द्वारा अपने खसरा नम्बर 1177 में दुकाने निर्माण करने के उपरान्त उसके आगे स्थित वादीगण के खसरा नम्बर 1176 पर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से वादीगण का पत्थरों का परकोटा गिराते रहते है एवं दिनांक 16.12.2014 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को चेतावनी दी की वहन अपने मवेशी बॉधने हेतु बनाये गये टीनशेड को हटा लेने नही तो टीनशेड तोड देंगे तथा वादीगण की आराजी नम्बर 1176 पर कब्जा कर इस उपयोग अपनी दुकानों के लिये करेंगें। वादीगण के संयुक्त कब्जे एवं पैतृक खाते की आराजी 1176 रकबा एक बिस्वा जमीन प्रतिवादी नम्बर 1 से 3 तक का किसी प्रकार का हक हिस्सा या अधिकार नही है फिर भी वह इस जमीन पर जबरन कब्जा कर एवं वादीगण के मवेशी बॉधने के टीनशेड को हटाने आमादा है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने वादीगण हकदार है। प्रतिवादीगणने उक्त आराजी नम्बर 1176 पर अवैध कब्जा करने की नियत से एक सिविल वाद श्रीमान् एसीजेएम साहब डूंगरपुर के न्यायालय में इस जमीन मे से रास्ते के सुखाधिकार हेतु वादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जिसे भी दिनांक 17.05.2010 को निरस्त किया गया है फिर भी प्रतिवादीगण अन्य तरीको से वादीगण की जमीन पर कब्जा करने हेतु प्रयासरत है। मौजा सालपुरा तहसील डूंगरपुर में स्थित वादीगण के कब्जे काश्त एवं संयुक्त खाते की पैतृक जमीन जमाबदी खतौनी नम्बर 143 में वर्णित आराजी नम्बर 1176 रकबा 1 बिस्वा में प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 3 तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करें। वादीगण को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान नही डाले, लडाई नही करें तथा वादीगण के मवेशी बांधने के टीनशेड एवं परकोटा को क्षति नही पहूँचायें एवं न ही किसी भी ऐजेन्सी से ऐसा कृत्य करावे। इस हेतु प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण के नाम नोटिस जारी किये जाकर जवाब तलब किया गया। जिसमें बताया गया कि आराजी नम्बर 1176 रकबा 1 बिस्वा वादीगण के खाते की होने से विवाद नही है। विवाद प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 1177 का जिस पर वादीगण ने जबरन टीनशेड बना दिया है।

वादीगण की आराजी नम्बर 1176 के पास प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1177 स्थित है , आराजी नम्बर 1176 में दो वर्ष पूर्व या कभी भी वादीगण के कबीन नही थे, वादीगण के केबीन रोड की तरफ गैजी रोड जाने की सरहद पर भूमि स्थित है। आराजी की भूमि पर होने प्रतिवादीगण को जानकारी नही कि आराजी नम्बर 1176 की भूमि पर है या रोड की सरकारी भूमि पर है यह सत्य है कि वादीगण ने गुमराह होकर प्रलोभन में आकर प्रतिवादीगण की आराजी नम्बर 1177 की 11 बिस्वा भूमि जो गैजी–सरथुना रोडा पर होने से वादीगण की नियम में खोट आने से वादीगण ने आराजी नम्बर 1177 की भूमि पर जबरन अतिक्रमण करने प्रतिवादीगण की भूमि को हथियाने टीनशेड बना दिया है जो स्पष्ट दिखाई देने के बाद भी प्रतिवादीगण द्वारा पुलिस थाना रामसागडा में अपनी आराजी/भूमि पर होना बताकर गुमराह किया।

उपखण्ड अधिकारी

वादीगण के आग्रह पर तत्कालीन एस.एच.ओ.रामसागडा ने पटवारी हल्का को सेटलमेंट से नप्ती कराकर रिपोर्ट बनवाने निर्देश दिया। पुलिस के निर्देशों पर दोनो पक्षों की सहमति से राजस्व निरीक्षण द्वारा श्रीमान् भू–प्रबन्ध अधिकारी उदयपुर को लिखकर सेटमेंट विभाग से भू–प्रबन्ध को बुलाया गया जिन्होने दिनांक 16.12.2014 को सीमा विवाद की जानकारी नप्ती की दिनांक 16.12.2014 को मौका पर्चा बनाया गया। भू प्रबन्ध भूमापक ने नप्ती में पाया कि वादीगण द्वारा बनाया गया टीनशेड प्रतिवादीगण के खाते की आराजी नम्बर 1177 की भूमि पर उपस्थित वादीगण रामा, लक्ष्मण, शंकर आदि ने मौका पर्चा दिनांक 16.12.2014 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। प्रकरण में ईटीएस की मशीन की रिपोर्ट प्रस्तुत नही किये है साक्ष्य वादी शंकर की बंद की गयी। अन्य गवाहो का अंतिम अवसर प्रदान किया गया। पी.डब्ल्यु 1 जिरह प्रतिवादी अधुरी थी। आगे जिरह नही करना चाहते है। जिरह वादी बंद की जाती है। पुर्व गवाह लक्ष्मण, जीवा के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने से इनकी जिरह प्रतिवादी नियत की गई परन्तु गवाह उपस्थित नही होने साक्ष्य वादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। श्री नानूराम पिता डूंगरजी पाटीदार के बयान शपथ पत्र एवं दस्तावेज पेश किये गये । प्रतिवादी नानूराम के बयान लेखबद्ध किये गये वादीगण जिरह नही करना चाहा गया एवं प्रतिवादी ने अन्य दीगर साक्ष्य पेश करना नही चाहा है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाकर बहस सूनी गई।

वादीगण की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने अपने वाद एवं जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वाद वर्णित भूमि बाबत् जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 प्रर्दश 1 दिनांक 16.11.2015 के खाता संख्या 143 ग्राम सालमपुरा में खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.01 हेक्ट.किस्म सुखी I वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी भूमि है।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया जाकर सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड डूंगरपुर द्वारा दिनांक 17.05.2010 को निर्णय पारीत किया गया जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया दावा वादीगण नानूराम डूंगरजी पाटीदार निवासी सालमपुरा, श्रीमती कमला पत्नी नानूराम निवासी सालमपुरा, धुलजी पिता डूंगरजी पाटीदार निवासी सालमपुरा, श्रीमती भगवती पत्नी धुलजी पाटीदार निवासी सालमपुरा तहसील डूंगरपुर विरूद्ध प्रतिवादीगण अमृतलाल पिता नगजी मीणा, अरविन्द पिता नगजी मीणा और शंकर पिता कोदरा मीणा निवासीयान सालमपुरा तहसील डूंगरपुर खारीज किया गया। वाद वर्णित भूमि बाबत् जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 प्रर्दश 1 दिनांक 16.11.2015 के खाता संख्या 143 ग्राम सालमपुरा में खसरा नम्बर 1176 रकबा 0.01 हेक्ट.किस्म सुखी I वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी भूमि होने से मेरे मत में वादी का वाद स्वीकार करने योग्य पाता हूँ।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है मौजा सालमपुरा की जमाबंदी खतोनी नम्बर 143 में वर्णित आराजी नम्बर 1176 रकबा 1 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 से 3 तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करें। वादीगण को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान नही डाले, एवं न किसी अन्य, ऐजेन्सी से ऐसा कृत्य करावे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री बनाया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2025 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर
डूंगरपुर

डिगरी ब मुकदमे इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जा.दी.)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर मुकाम डूंगरपुर (राज.)

बईजलास– श्री सांवरलाल आबासरा, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर 2016/000110

प्रकरण संख्या 93/16 दायर दिनांक 26.12.2014

1. श्री लक्ष्मण पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
2. श्री शंकर पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
3. श्री प्रभु पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
4. श्री राजु पिता स्व. कोदरा डामोर मीणा
5. श्री भगु पिता नगजी डामोर मीणा
6. श्री अरविन्द पिता स्व. नगजी डामोर
7. श्री राकेश पिता स्व. सुरजमल डामोर मीणा
8. श्री कल्पेश पिता सुरजमल डामोर मीणा
9. श्री प्रियंका पुत्री स्व. सुरजमल डामोर
10. श्री सन्तोष पुत्री स्व. सुरजमल डामोर मीणा
11. श्री रामा पिता मावजी डामोर मीणा

समस्त निवासीयान सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

–वादीया

बनाम

1. श्री नानूराम पिता डूंगरजी पाटीदार निवासी सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर
2. श्री धुलजी पिता डूंगरपुर पाटीदार निवासी सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्री शान्तिलाल पिता डूंगर निवासी सालमपुरा तहसील व जिला डूंगरपुर
4. श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

–प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, जारी किये जाने</u>

<u>अन्तर्गत धारा 188, 88, रा.टी.एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू सांवरलाल आबासरा पक्षकारान बहाजरी श्री अमृतलाल पंचाल मिनजानिब मुदई व श्री लालसिंह चुण्डावत मिनजाबि मुदायलाह पेश होकर हूक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है : –

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा सालमपुरा की जमाबंदी खतोनी नम्बर 143 में वर्णित आराजी नम्बर 1176 रकबा 1 बिस्वा में प्रतिवादीगण 1 से 3 तक किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करें। वादीगण को उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान नही डाले, एवं न किसी अन्य, ऐजेन्सी से ऐसा कृत्य करावे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27 माह 10 सन् 2025 से जारी की गई।

(सांवरलाल आबासरा)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर

मुददई	रूपया/पैसा	मुददायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प अरजी दावा	
स्टाम्प वकालत नामा		स्टाम्प वकालत नामा	
स्टाम्प वजह सबुत		स्टाम्प वजह सबुत	
मेहनताना वकील		मेहनताना वकील	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
वक्त ईजराय		वक्त ईजराय	
मुतफरीक		मुतफरीक	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर